भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 159B/2017-18

देवाय महतो **बनाम** शांति महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
25-05-18	(see below)	

25-05-18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 469 दिनांक 27.03.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 159 B/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता देवाय महतो, पिता स्व0 मनसा महतो, ग्राम-सिदमा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने ऋण परिशोधन हेतु क्रेता शान्ति महतो, पति-स्व0 चन्द्रमोहन महतो, ग्राम-सिदमा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः-

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
सिदमा	203	47	338	0.68½ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता पिता के नाम के नाम से जमाबंदी दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता हैं। आवेदक के हिस्से में 3.60 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.68½ ए0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.91.5 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जाति 'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.68½ ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

25/05/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner